राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 151 / प्रा0पत्र / 2023 — दायरा दिनांक :—27.07.2023

GCMS ID—2023 / 394

उनवान

1. नारायण आ0 रामदेव जाति बैरवा निवासी तार का खेडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र आ0 गिरिराज जाति बैरवा निवासी तार का खेडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी राज0
2. लेखराज आ0 गिरिराज जाति बैरवा निवासी तार का खेडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी राज0
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :— श्री महेश नामा

वकील अप्रार्थीगण :— एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश — दिनांक : 08.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खाता संख्या 196 खसरा संख्या 12 / 1501 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा सख्या 1851 / 7 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल करबा 0.4532 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 198 खसरा संख्या 2034 / 1492 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5 / 1493 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5 / 1494 रकबा 0.0809 हैक्टैयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5377 हैक्टेयर व खाता संख्या 195 खसरा संख्या 1833 / 1495 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5 / 1496 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, खसरा संख्या 7 / 1498 रकबा 0.6880 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.2141 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रानीपुरा पटवार मण्डल रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,.प्रार्थी उक्त भूमियों पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्राथी की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में से खसरा संख्या 1833 / 1495, 5 / 1496, 12 / 1501, 5 / 1494 के समीप अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 2109 / 12 विस्थित है, अप्रार्थीगण कई बार सीमा सम्बन्धी विवाद कर चुके है, और प्रार्थी की उक्त भूमि के अन्दर अपनी भूमि होने का उज्र करते है, और प्रार्थी की उक्त भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्टा करते है, तब प्रार्थी ने अपनी भूमि खसरा संख्या 1833 / 1495, 5 / 1496, 12 / 1501, 5 / 1494 का सीमाज्ञान करने हेंतु श्रीमान तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 13.06.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली के आदेश संख्या 583 / भू0अ0 / 2022 दिनांक 26.05.2022 की पालना में प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया परन्तु अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

है और जबरन आये दिन प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1833/1495, 5/1496, 12/1501, 5/1494 की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है, जबकि प्रार्थी अपने खाते में दर्ज भूमि पर ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। परन्तु अप्रार्थीगण करना चाहते है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर लगातार कब्जा करने पर आमादा है, तथा दिनांक 15.04.2023 को अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1833/1495, 5/1496, 12/1501, 5/1494 पर आ गये और जबरन प्रार्थी की भूमि की मेडो को तोडने का प्रयास किया प्रार्थी द्वारा मना करने पर गाली गलौच की तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि हम तुम्हारी भूमि खसरा संख्या 1833/1495, 5/1496, 12/1501, 5/1494 पर कब्जा करेगे और तुम्हारी भूमि की मेडो को तोडकर नष्ट करेंगे और तुझे उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करने देगे। यही प्रार्थना पत्र का कारण है, जो निरंन्तर चल रहा है। प्रार्थी के पास सीमा सम्बन्धी विवादों के स्पष्ट समाधान हेतु पत्थरगढी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी अपनी भूमि खसरा संख्या 1833/1495, 5/1496, 12/1501, 5/1494 वाके ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की पत्थरगढी करवाये। प्रार्थी पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1833/1495, 5/1496, 12/1501, 5/1494 वाके ग्राम रानीपुरा पटवार मण्डल रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 3 पेरोकार सरकार ने राजकीय राशि जमा करवाने उपरान्त पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमियॉ प्रार्थी के खातेदारी की भूमियॉ है। अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार होने से आये दिन प्रार्थी की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम रानीपुरा पटवार मण्डल रानीपुरा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 195, 196, 198 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

Email:- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, दबलाना को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 195 के खसरा संख्या 1833/1495 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5/1496 रकबा 0.3480 हैक्टेयर व खाता संख्या 196 के खसरा संख्या 12/1501 रकबा 0.1295 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 198 के खसरा संख्या 5/1494 रकबा 0.0809 हैक्टेयर वाके ग्राम रानीपुरा पटवार मण्डल रानीपुरा तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446